

भारत सरकार/Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/Department of Atomic Energy
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अनुभाग/ PSU Section

अणुशक्ति भवन, /Anushakti Bhavan,
छ.शि.म. मार्ग, /C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं. No. 7/2(2)/2018-PSU/8540

जून June 29, 2022

परिपत्र CIRCULAR

परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) मौजूदा परमाणु ऊर्जा (खनन कार्य, खनिज और विहित पदार्थों के प्रहस्तन) नियम, 1984 के अनुसार विहित पदार्थों के प्रहस्तन, निर्यात, आयात और खनन के लिए लाइसेंस जारी करने के प्रयोजन से संघटक इकाइयों के साथ-साथ निजी पार्टियों से प्राप्त अनुरोधों को संसाधित कर रहा है।

The Department of Atomic Energy (DAE) has been processing requests received from Constituent Units as well as from private parties for the purpose of issuing Licenses applied for Handling, Export, Import and Mining of Prescribed Substances as per the extant Atomic Energy (Working of the Mines, Mineral and Handling of Prescribed Substances) Rules, 1984.

2. भारत सरकार ने संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय में डीएई लाइसेंसिंग सिस्टम को राष्ट्रीय एकल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ एकीकृत करने की पहल की है। पऊवि लाइसेंसिंग सिस्टम को तब से एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत किया गया है और लाइसेंस शुल्क के लिए आवश्यक राशि भेजने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के साथ 30.05.2022 से यह लाइव हो गया है।

Government of India have taken initiatives to integrate the DAE Licensing System with National Single Window System (NSWS) in co-ordination with respective agencies. The DAE Licensing System has since been integrated with NSWS and the same became Live from 30.05.2022 along with online payment system for remitting the requisite amount towards Licence Fee.


3. इसलिए, परमाणु ऊर्जा विभाग में निर्धारित पदार्थों के संचालन, निर्यात, आयात और खनन के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है। भौतिक मोड से प्राप्त आवेदनों को तदनुसार आवेदकों को वापस कर दिया जाएगा।

It has been, therefore, decided in the Department of Atomic Energy to accept the applications for Handling, Export, Import and Mining of Prescribed Substances through the online mode only. The applications received in physical mode will be returned to the applicants accordingly.

...2/-

Chauhan
28/6/22

4. उपरोक्त सूचना को आगे की कार्रवाई के लिए नोट किया जा सकता है।
The above information may be noted for further course of action.
5. इसे विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of Competent Authority in the Department.


(एस.वी.चव्हाण S.V. Chavan)

अवर सचिव (पीएसयू) Under Secretary(PSU)

Email ई मेल : usim@dae.gov.in

टेलीफोन Tel: 022 2202 7918

सेवा में To,

- (1) पऊवि की सभी संबद्ध इकाइयों / पीएसयू / सहायता प्राप्त संस्थानों के प्रमुख
All Heads of the Constituent Units / PSUs / Aided Institutions of DAE
- (2) प्रमुख, सीआईएसडी, पऊवि – पऊवि की वेबसाइट के विभिन्न उपलब्ध लिंक पर अपलोड करने के अनुरोध करने के साथ।
Head, CISD, DAE – with a request to upload this Circular in DAE Website to various available links.
- (3) वे आवेदक जिन्होंने पहले विभाग में लाइसेंस के लिए आवेदन किया है।
Applicants who have previously applied for licenses to the Department